भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3234
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर रोगियों के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना

†3234. श्री के. सुधाकरनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि (एचएमसीपीएफ) सहित राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) योजना और विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कैंसर रोगियों के लिए 2025 में इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या कैंसर से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगी आरएएन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने के पात्र हैं और यदि हां, तो उनके आवेदन के लिए अपेक्षित विशिष्ट दस्तावेज क्या हैं;

(ग) वर्ष 2024-25 में उक्त योजना और एचएमसीपीएफ के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई;

(घ) क्या संसद सदस्य बीपीएल रोगियों की सिफारिश करते हैं जो आरएएन सहायता के लिए पात्र हैं और यदि हां, तो सिफारिश और आवेदन प्रक्रिया के कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों (आरसीसी) सहित कितने सरकारी अस्पताल और संस्थान उक्त योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करने के पात्र हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की अम्ब्रेला स्कीम के घटक के रूप में स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष (एचएमसीपीएफ) के तहत गरीब कैंसर रोगियों के उपचार हेतु अधिकतम ₹15 लाख तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उन गरीब रोगियों के लिए है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं (ऑफ़लाइन मोड) और गरीब रोगी जो उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं, जिनका डेटा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के आईटी प्लेटफॉर्म (ऑनलाइन मोड) से एकीकृत है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत रोगी वित्तीय सहायता के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रोगी जिनका एनएफएसए

डेटा राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (एनएचए) के आईटी प्लेट फोर्म पर एकीकृत नहीं है, वे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से ऑफ लाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑन लाईन मोड (उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण के आईटी प्लेटफॉर्म से एकीकृत है), वहाँ सरकारी अस्पताल सुयोग्य रोगियों के लिए आरएएन आईडी सृजित करते है एवं तत्पश्चात ट्रांजैकशन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिये आवेदन का (टीएमएस) प्रोसैस होता है। अनुमोदन होने के उपरांत संबन्धित रोगी के लिए फंड आरक्षित रखने के लिए बैंक को पुष्टि भेज दी जाती है तथा इलाज शुरू हो जाता है। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंत्योदय लाभार्थी जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का डेटा राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (एनएचए) के आईटी प्लेटफॉर्म से एकीकृत नहीं है तथा वैसे पीएम-जेएवाई लाभार्थी जिन्हे ईलाज की आवश्यकता है लेकिन वे पीएम-जेएवाई के तहत कवर नहीं है, वे भी ऑन लाइन मोड के माध्यम से राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की अम्ब्रेला स्कीम के तहत लाभ पाने के पात्र हैं । पात्र रोगियों के लिए उपचार करने वाले अस्पतालों/संस्थानों को वित्तीय सहायता जारी की जाती है। चूँकि, धनराशि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मामला-दर-मामला के आधार पर जारी की जाती है, इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आँकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। आरएएन की व्यापक योजना के अंतर्गत 2024-25 में 27.06 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई, जिसमें एचएमसीपीएफ का एक घटक भी शामिल है। वर्ष 2025-2026 (16.07.2025 तक) में उक्त योजना के माध्यम से कुल 134 गरीब रोगी लाभान्वित हुए हैं तथा इसके लिए 9.14 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

आरएएन की अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत संसद सदस्यों की अनुशंसा का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि, माननीय सदस्यों से आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनका निपटान आरएएन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। आरएएन के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऑफ़लाइन आवेदन निर्धारित प्रपत्र में उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के साथ-साथ परिवार का आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड भी जमा करना आवश्यक है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड और आधार कार्ड आवश्यक हैं। आरएएन के अंतर्गत मामलों को प्रोसेस करने के लिए विभिन्न चरण हैं, जैसे आवेदन की जांच करना तथा प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के लिए मामले को प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के लिए तकनीकी समिति के समक्ष रखना।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों (आरसीसी)/ विशिष्ट परिचर्या कैंसर केन्द्रों (टीसीसीसी), राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और कैंसर उपचार सुविधाओं वाले अन्य सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में मरीजों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि की अम्ब्रेला स्कीम के बारे में अधिक जानकारी इस लिंक पर प्राप्त की जा सकती है: https://mohfw.gov.in/?q=en/Major-Programmes/poor-patients-financial-support

*****